

मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-21.12.2020 को 04:00 बजे अपराह्न से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकारी समिति की अष्टम बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली संख्या -01

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णय:- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या - 02

शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की दिनांक-27.08.2020 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-03

शासी निकाय की दिनांक-16.11.2018 को सम्पन्न पंचम बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

शासी निकाय की दिनांक-16.11.2018 की कार्यवाही की कार्यावली संख्या-03(ख)	अनुपालन
<p>बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका-9 (13) के आलोक में वैधानिक/सांविधिक (वार्षिक) अंकेक्षण (Statutory Audit) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल से सूचीबद्ध पटना स्थित फर्म, सच्चिदानन्द चौधरी एण्ड को० को कार्यहित में चयनित कर अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न करा लिया गया है। समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन को कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>निर्णय :- अनुमोदित।</p> <p>साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों का अंकेक्षण कराकर कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय के समक्ष प्रतिवेदन, अवलोकन/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।</p>	<p>बिहार विकास मिशन के दिनांक-16.11.2018 को सम्पन्न शासी निकाय की पंचम बैठक में प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश सहपठित ज्ञापांक-1546, दिनांक-25.09.2019 के माध्यम से चयनित अंकेक्षक/ फर्म-M.P. & Associates, 1109, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi, B.O-House 7, Majha House, Near Alpana Market, Road No 2, Vivekanand Park, Patliputra, Patna-800013 द्वारा सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण के उपरान्त अंकेक्षक द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई हेतु सभी जिला पदाधिकारी को बिहार विकास मिशन के पत्र संख्या-922, दिनांक-18.08.2020 द्वारा निदेशित किया गया है।</p> <p>निर्णय:- अनुमोदित।</p>

कार्यावली संख्या-04

शासी निकाय की दिनांक-14.09.2019 को सम्पन्न षष्ठम् बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

शासी निकाय की दिनांक-14.09.2019 की कार्यवाही की कार्यावली संख्या-06	अनुपालन																																				
<p>बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह-अप्रैल'2018 से मार्च'2019 तक हुए आय व्यय की विवरणी शासी निकाय के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ निम्नवत है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Receipt (Up to 31-03-2019)</th></tr> <tr> <th>Received From</th><th>Amount (in Rs.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opening Balance</td><td>₹ 1,08,77,23,963.01</td></tr> <tr> <td>GOB</td><td>₹ 68,43,12,473.16</td></tr> <tr> <td>Interest</td><td>₹ 3,39,13,484.00</td></tr> <tr> <td>BOQ of Tender/ Penalty Other</td><td>₹ 16,935.00</td></tr> <tr> <td>Performance Security/ Performance Guarantee/Earnest Money</td><td>₹ 8,97,449.33</td></tr> <tr> <td>Total Receipt</td><td>₹ 1,80,68,64,304.50</td></tr> <tr> <th colspan="2">Expenditure (Up to 31-03-2019)</th></tr> <tr> <th>Particulars</th><th>Amount (in Rs.)</th></tr> <tr> <td>Salary & Wages</td><td>₹ 4,56,11,349.00</td></tr> <tr> <td>Honorarium & Related Expenditure/allotment(unadjusted)</td><td>₹ 42,52,91,285.28</td></tr> <tr> <td>Consultancy Fee</td><td>₹ 50,19,458.00</td></tr> <tr> <td>Mobile/Telephone/Internet Expenditure</td><td>₹ 8,72,062.00</td></tr> <tr> <td>Furniture & Office Equipment's</td><td>₹ 12,14,540.30</td></tr> <tr> <td>Vehicle Hiring & Travelling Expenditure</td><td>₹ 63,69,497.00</td></tr> <tr> <td>Office Expenditure</td><td>₹ 79,62,556.73</td></tr> <tr> <td>Total Expenditure</td><td>₹ 49,23,40,748.31</td></tr> </tbody> </table> <p>सक्षम प्राधिकार के आदेश से दिनांक-01.04.2019 से वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवशेष राशि ₹ 1,31,45,23,556.19 का वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय किया जा रहा है। Internal Audit, वित्तीय वर्ष 2018-19, का सम्पन्न हो चुका है एवं Statutory Audit कराया जा रहा है। Statutory Audit Report, ATR के साथ आगामी कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय में प्रस्तुत की जाएगी। निर्णय:- अवलोकित।</p>	Receipt (Up to 31-03-2019)		Received From	Amount (in Rs.)	Opening Balance	₹ 1,08,77,23,963.01	GOB	₹ 68,43,12,473.16	Interest	₹ 3,39,13,484.00	BOQ of Tender/ Penalty Other	₹ 16,935.00	Performance Security/ Performance Guarantee/Earnest Money	₹ 8,97,449.33	Total Receipt	₹ 1,80,68,64,304.50	Expenditure (Up to 31-03-2019)		Particulars	Amount (in Rs.)	Salary & Wages	₹ 4,56,11,349.00	Honorarium & Related Expenditure/allotment(unadjusted)	₹ 42,52,91,285.28	Consultancy Fee	₹ 50,19,458.00	Mobile/Telephone/Internet Expenditure	₹ 8,72,062.00	Furniture & Office Equipment's	₹ 12,14,540.30	Vehicle Hiring & Travelling Expenditure	₹ 63,69,497.00	Office Expenditure	₹ 79,62,556.73	Total Expenditure	₹ 49,23,40,748.31	<p>बिहार विकास मिशन की शासी निकाय की दिनांक-14.09.2019 को सम्पन्न षष्ठम् बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित Statutory Audit Report, ATR, के साथ आगामी कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय में प्रस्तुत करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा का सांविधिक अंकेक्षण (Statutory Audit Report) प्रतिवेदन एवं Action Taken Report प्रस्तुत है। निर्णय:- अनुमोदित।</p>
Receipt (Up to 31-03-2019)																																					
Received From	Amount (in Rs.)																																				
Opening Balance	₹ 1,08,77,23,963.01																																				
GOB	₹ 68,43,12,473.16																																				
Interest	₹ 3,39,13,484.00																																				
BOQ of Tender/ Penalty Other	₹ 16,935.00																																				
Performance Security/ Performance Guarantee/Earnest Money	₹ 8,97,449.33																																				
Total Receipt	₹ 1,80,68,64,304.50																																				
Expenditure (Up to 31-03-2019)																																					
Particulars	Amount (in Rs.)																																				
Salary & Wages	₹ 4,56,11,349.00																																				
Honorarium & Related Expenditure/allotment(unadjusted)	₹ 42,52,91,285.28																																				
Consultancy Fee	₹ 50,19,458.00																																				
Mobile/Telephone/Internet Expenditure	₹ 8,72,062.00																																				
Furniture & Office Equipment's	₹ 12,14,540.30																																				
Vehicle Hiring & Travelling Expenditure	₹ 63,69,497.00																																				
Office Expenditure	₹ 79,62,556.73																																				
Total Expenditure	₹ 49,23,40,748.31																																				

कार्यावली संख्या - 05

कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

(क) कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 के बैठक की कार्यवाही की कार्यावली संख्या-03(ख)	अनुपालन
<p>बिहार विकास मिशन में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पदों पर Empanelled Recruiting Agency के माध्यम से संविदा पर नियोजन की कार्यवाही की जा रही है। कतिपय पदों पर नियोजन की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि कतिपय पदों पर नियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</p> <p>उक्त प्रक्रिया द्वारा बिहार विकास मिशन के Pay Roll पर नियोजित कर्मियों को रखा जा रहा है। नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया में काफी विलम्ब हो रहा है। साथ ही, कई पद (विशेष कर आरक्षित पद) रिक्त रह जा रहा है। कुछ पदों पर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।</p> <p>उक्त परिप्रेक्ष्य में नियोजन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर विभिन्न विभागों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वांछित मदद उपलब्ध कराने हेतु नियोजन की वैकल्पिक व्यवस्था यथा Out Sourcing के द्वारा एजेंसी के Pay Roll पर बिहार विकास मिशन द्वारा स्वीकृत Job Description (JD) के अनुरूप विशेषज्ञ/कर्मियों की सेवा प्राप्त करने के बिन्दु पर कार्यकारी समिति के विचारार्थ।</p> <p>निर्णय:- जिन पदों पर नियोजन प्रक्रियाधीन है, उसे पूर्ण किया जाय। जिन पदों पर वर्तमान Job Description (JD)/ मानदेय पर नियोजन में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं, उक्त की सूचना संबंधित विभाग को दी जाय। विभाग स्तर पर प्रसंगाधीन JD/ मानदेय की समीक्षा कर, वांछित संशोधन के साथ सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराई जाय। तदोपरान्त संचिका के माध्यम से अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ उपस्थापित किया जाय।</p> <p>निर्णय:- सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा अद्यतन नियोजन की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया एवं सूचित किया गया कि पाँचवे चरण हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध आचार संहिता के बाद साक्षात्कार आयोजित कर दिनांक-15.07.2019 तक नियोजन पूर्ण कर लिया जायेगा। इस संबंध में अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन द्वारा ससमय नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>(i) दिनांक-14.09.2019 को सम्पन्न बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली संख्या-08 में इससे संबंधित तथ्यों को अवलोकित कराया जा चुका है।</p> <p>(ii) Phase V के नियुक्ति प्रक्रिया की समाप्ति के क्रम में कुल 04 (चार) पद क्रमशः (i) DSC Agri, (ii) DSC Agri + Infra, (iii) DSC Social एवं (iv) DSC Infra की कुल 21 रिक्तियों के विरुद्ध Hiring Agency के द्वारा एकरारनामा की शर्त के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Second Opportunity के तहत Additional Shortlist of Candidates के आधार पर साक्षात्कार की तिथि क्रमशः दिनांक-20.03.2020 एवं 21.03.2020 को निर्धारित की गयी थी। वैश्विक महामारी Covid-19 के कारण आयोजित होने वाले साक्षात्कार स्थगन की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3736, दिनांक-13.03.2020 के आलोक में की गयी है। इस तथ्य को दिनांक-27.08.2020 को सम्पन्न शासी निकाय की सप्तम् बैठक में अवलोकित कराया जा चुका है।</p> <p>एजेंसी द्वारा साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराये गये Shortlist of Candidates की अवधि अधिक हो जाने के कारण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु उपलब्धता के संबंध में एजेंसी से पत्राचार किया गया है। 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आलोक में Online साक्षात्कार की अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>कार्यकारी समिति के सूचनार्थ।</p> <p>निर्णय:- अवलोकित।</p>

<p>(ख) कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 के बैठक की कार्यवाही की कार्यावली संख्या- 06</p>	<p>अनुपालन</p>
<p>बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि “संविदा पर नियोजन कम से कम 3 वर्ष की हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय”। उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित विभिन्न विभागों एवं बिहार विकास मिशन में पदस्थापित कर्मियों के मामले में कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा पर नियोजित अधिकांश कर्मियों सहित अन्य कर्मियों की सेवा अवधि लगभग 02 वर्ष 08 माह हो चुकी है। अनुपालन:- बिहार विकास मिशन। अतः उन कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02 (दो) वर्ष अर्थात् कुल 05 (पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर शासी निकाय, बिहार विकास मिशन से मार्गदर्शन हेतु की गई, अपेक्षा के आलोक में शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की दिनांक-16.11.2018 को सम्पन्न बैठक में निदेशित किया गया कि इस कार्यावली में उपस्थापित प्रस्ताव, कार्यकारी समिति के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय। अतः उक्त बिन्दु पर कार्यकारी समिति का निर्णय प्रार्थित है। निर्णय:- अनुमोदित। अनुपालन:- बिहार विकास मिशन।</p>	<p>अनुपालित। निर्णय:- अवलोकित।</p>
<p>(ग) कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 के बैठक की कार्यवाही की कार्यावली संख्या- 08</p>	<p>अनुपालन</p>
<p>बिहार विकास मिशन में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (योगदान की तिथि से) की सेवा अवधि के दौरान आकस्मिक निधन होने की परिस्थिति में उनके नामांकित/आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में रु 4,00,000/- (चार लाख रुपये) एक मुश्त राशि देने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है। निर्णय:- बिहार विकास मिशन की स्थापना के बाद सभी नियोजित कर्मियों को बिहार विकास मिशन</p>	<p>अनुपालित। निर्णय:- अवलोकित।</p>

<p>में नियोजन अवधि में आकस्मिक निधन होने की परिस्थिति में उनके नामांकित/आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में एक मुश्त 4,00,000/- (चार लाख रुपये) देने का निर्णय लिया गया है एवं HR Manual में इसे प्रावधानित करने का निदेश दिया गया।</p>	
<p>(घ) कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 के बैठक की कार्यवाही की कार्यावली संख्या- 09</p>	<p>अनुपालन</p>
<p>बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों जिन्हें विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में प्रतिनियुक्त/ सम्बद्ध किया गया है, उनकी उपस्थिति विवरणी देर से प्राप्त होने के कारण मानदेय भुगतान में अत्यधिक विलंब होता है। इस कारण EPF जमा करने में भी विलंब होता है एवं विलंब होने के कारण EPF को अतिरिक्त राशि भुगतान करना पड़ता है।</p> <p>अतः प्रस्ताव है कि जिन नियोजित कर्मियों का उनके प्रतिनियुक्त विभागों/कार्यालयों से अगले माह के 5 वीं तारीख तक उपस्थिति विवरणी प्राप्त नहीं होती है उन्हें पिछले माह में पूर्ण उपस्थित मानते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाय। इस पर कार्यकारी समिति का निर्णय प्रार्थित है।</p> <p>निर्णय:- अनुमोदित।</p>	<p>अनुपालित। निर्णय:- अवलोकित।</p>
<p>(ङ.) कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 के बैठक की कार्यवाही की कार्यावली संख्या- 12</p>	<p>अनुपालन</p>
<p>बिहार विकास मिशन अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर 11(ग्यारह) माह के एकरारनामा पर कर्मी नियोजित हैं। उनका एकरारनामा, उनके नियंत्री पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्राप्त होने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर बढ़ाई जाती है। इनके मानदेय में वृद्धि का कोई प्रावधान HR Manual में नहीं है। उक्त कर्मी वर्तमान में 03(तीन) वर्ष हेतु नियोजित हैं जिनकी सेवा 02(दो) वर्ष और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति की वर्तमान बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा गया है।</p> <p>वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के नियोजित अधिकांश कर्मियों एवं अन्य विशेषज्ञों का एकरारनामा दो बार बढ़ाया जा चुका है एवं उनके साथ तीसरा एकरारनामा किया जाना है। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के बहुत सारे कर्मियों यथा अन्य सिंगल विण्डो ऑपरेटर, मल्टी परपस असिस्टेंट एवं सुपरवाइजर आई०टी० का</p>	<p>अनुपालित। निर्णय:- अवलोकित।</p>

चयन, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSEDC) के माध्यम से किया गया है एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSEDC) द्वारा अपने कर्मियों यथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, आई०टी० ब्याँय/गर्ल एवं प्रोग्रामर का प्रतिवर्ष 10% मानदेय में वृद्धि किए जाने के कारण बिहार विकास मिशन के कर्मियों को भी मानदेय में वृद्धि पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अतः बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों को मानदेय में 10% वृद्धि (अधिकतम 4,000/- रु०) किए जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि (अधिकतम 4000/- रु०) किए जाने का निर्णय लिया गया जो दिनांक- 01.06.2019 से प्रभावी होगा। HR Manual में इसे प्रावधानित करने का निदेश दिया गया।

कार्यावली संख्या-06

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माह-अप्रैल' 2019 से मार्च' 2020 तक हुए आय व्यय की विवरणी (Internal Audit अनुसार) निम्नवत् है :-

BIHAR VIKAS MISSION							
BSBCL CAMPUS, HOSPITAL ROAD, RAJBANSI NAGAR, PATNA							
FINANCIAL SUMMARY REPORT AS PER INTERNAL AUDIT FOR THE PERIOD (01.04.2019 TO 31.03.2020) OF F.Y. 2019-20							
SL No	Fund Head	Opening Balance(01.04.2019)	Received	TOTAL	Expenditure	Return/ Refund to different Department	Closing Balance (31.03.2020)
		A	B	C=(A+B)	D	E	F (C-D-E)
1	3104 -Assistant Grant for salary	95563313.00	0.00	95563313.00	51362258.00	0.00	44201055.00
2	3105-Assistant Grant for Capital creation	99869401.5	23705.00	99893106.50	1879022.64	49669079.50	48345004.36
3	3106 -Assistant Grant for Other than salary	925717116.00	299010.00	926016126.00	494852990.37	0.00	431163135.63
4	DFID (SHSB 3.5 Cr., BSW&S 4 Cr. & BICDSS 2.5 Cr.) Total 10 Cr.	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00
5	INCIDENTAL FUND (Interest & other)	92168046.43	41638873.00	133806919.43	4292307.00	0.00	129514612.43
	GRAND TOTAL	1313317876.93	41961588.00	1355279464.93	552386578.01	149669079.50	653223807.42

वित्तीय वर्ष 2019-20 का आय-व्यय से संबंधित सांविधिक अंकेक्षण प्रक्रियाधीन है। उक्त अंकेक्षण पूर्ण होने के उपरांत ATR के साथ कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-07

सक्षम प्राधिकार के आदेश से वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवशेष राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने के उपरांत पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जा चुका है।

कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-08

वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा प्राक्कलित राशि कुल ₹ 101,10,00,000/- (एक सौ एक करोड़ दस लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध सरकार द्वारा उपबंधित राशि कुल ₹ 150,00,00,000/- (एक सौ पचास करोड़ रुपये) मात्र में से आदिनांक तक कुल ₹ 44,60,00,000/- (चौवालीस करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र का आवंटन प्राप्त है। जिससे व्यय किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक-01अप्रैल'2020 से 31 अक्टूबर'2020 तक हुए आय व्यय की विवरणी (Unaudited) निम्नवत् है:-

BIHAR VIKAS MISSION							
BSBCL CAMPUS,HOSPITAL ROAD ,RAJBANSI NAGAR , PATNA							
FINANCIAL SUMMARY REPORT (UNAUDITED) FOR THE PERIOD 01.04.2020 TO 31.10.20 OF F.Y 2020-21							
SL No.	Fund Head	Opening Balance(01.04.2020)	Received	Total Fund	Expenditure	Return/ Refund to different Department	Closing Balance as on (31.10.2020)
		A	B	C= (A+B)	D	E	F=(C-D-E)
1	3104 -Assistant Grant for salary	44201055.00	38400000.00	82601055.00	29253379.00	19239408.00	34108268.00
2	3105-Assistant Grant for Capital creation	48345004.36	1600000.00	49945004.36	185812.00	48144487.36	1614705.00
3	3106 -Assistant Grant for Other than salary	431163135.63	408896097.00	840059232.63	297436916.00	107088787.31	435533529.32
4	INCIDENTAL FUND (Interest & other)	129514612.43	7671761.00	137186373.43	0.00	0.00	137186373.43
	GRAND TOTAL	653223807.42	456567858.00	1109791665.42	326876107.00	174472682.67	608442875.75
Expenditure and Balances as per Accrual Basis and unadjusted of DRCC Allotment							

कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित। प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि अवशेष राशि PL Account में रखा जाना चाहिए। इसपर सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा बताया गया कि इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालन-बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-09

बिहार विकास मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संभावित व्यय के अनुरूप शीर्षवार प्राक्कलन निम्नवत् है:-

क्र०सं०	शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राक्कलित राशि
01	3104-सहायक अनुदान वेतन	₹ 5,96,00,000.00 (पाँच करोड़ छियानवे लाख रुपये मात्र)
02	3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण	₹ 10,00,000.00 (दस लाख रुपये मात्र)
03	3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	₹ 66,28,00,000.00 (छियासठ करोड़ अठइस लाख रुपये मात्र)
04	कुल-	₹ 72,34,00,000.00 (बहत्तर करोड़ चौतीस लाख रुपये मात्र)

उक्त प्राक्कलन अनुसार बिहार विकास मिशन के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राशि उपबंधित कराने के लिए प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया है। कार्यकारी समिति के अनुमोदनार्थ।

विचार विमर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष व्यय की गई राशि के 10% से अधिक प्राक्कलन प्रस्तुत करने पर पृच्छ की गई। सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा बताया गया कि बहुत सारे पद पर नियोजन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। उन्हें समाहित कर प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। अतः पिछले वर्ष की व्यय राशि से 10% से अधिक का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:-अनुमोदित।

अनुपालन-बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-10

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के कार्यालय आदेश-सह-पट्टि ज्ञापांक-792, दिनांक-12.09.2019 के आलोक में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य किया गया। उक्त अंकेक्षण दल द्वारा बिहार विकास मिशन के गठन से माह-मई 2020 तक लेखा परीक्षण किया गया।

कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-11

मिशन निदेशक कार्यालय, बिहार विकास मिशन के पत्रांक-2843, दिनांक-29.11.2019 द्वारा अंकेक्षण के संबंध में अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के दो मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं:-

- बिहार विकास मिशन एक सोसाइटी के रूप में गठित संस्था है, जिसका स्वतंत्र अंकेक्षण किया जा सकता है। किन्तु यह वित्तीय समव्यवहार और उसके प्रभावों तक सीमित रखना अपेक्षित है। इसके लिए प्रवेश सम्मेलन (Entry Confrence) वांछनीय होगा।
- बिहार विकास मिशन कार्यालय (उप मिशन सहित) मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्राथमिकताओं के अनुश्रवण का दायित्व निभाता है। इसलिए मिशन के मिशन निदेशक

कार्यालय का अंकेक्षण करने के स्तर पर प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वे विभागीय योजनाओं का अंकेक्षण करने हेतु विभागों से सूचना प्राप्त करें।

वित्त विभाग से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में बिहार विकास मिशन द्वारा अनुश्रवण की जा रही योजनाओं को छोड़कर मात्र सोसाइटी के वित्तीय समव्यवहारों एवं संबद्ध पक्षों का अंकेक्षण कराने हेतु महालेखाकार को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं योजनाओं के अंकेक्षण के दायित्व को पैतृक विभागों पर छोड़ देने तथा इस आशय की सूचना प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) को देने के प्रस्ताव पर अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन-बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-12

कार्यहित में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार विकास मिशन के HR Manual में हुए संशोधन, कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-13

बिहार विकास मिशन में कार्यों के सुचारु संपादन हेतु मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन को प्रत्यायोजित शक्तियों को एकीकृत एवं संशोधित किया गया है।

कार्यकारी समिति से कार्यालय आदेश संख्या-863, दिनांक-29.07.2020 एवं 1157, दिनांक-13.10.2020 का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या:-14

भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-12 सहपट्टित ज्ञापांक-1359, दिनांक-03.02.2016 द्वारा नियोजन भवन के 7वें तल्ले पर बिहार विकास मिशन को कर्णाकित एवं आवंटित 1072 वर्गमीटर स्थान के साज-सज्जा एवं सौंदर्यीकरण हेतु सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त ₹3,03,57,000.00 (तीन करोड़ तीन लाख सतावन हजार रु0 मात्र) मात्र की राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को हस्तगत करायी गयी। इस क्रम में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- 45 सह पट्टित ज्ञापांक-5009, दिनांक-03.06.2019 द्वारा उक्त स्थान बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (पथ निर्माण विभाग) को आवंटित कर दी गयी। उक्त कार्यालय भवन के साज-सज्जा हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराई गयी राशि को बिहार विकास मिशन को लौटाने के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक-13.01.2020 को संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा आवंटित स्थान एक सरकारी विभाग/ सोसायटी/ न्यायाधिकरण से दूसरे सरकारी विभाग/ सोसायटी/ न्यायाधिकरण को आवंटित किये जाने के कारण बिहार विकास मिशन द्वारा नियोजन भवन के 7वें तल्ले के साज-सज्जा एवं सौंदर्यीकरण हेतु व्यय की गयी ₹3,03,57,000.00 (तीन करोड़ तीन लाख सतावन हजार रु0 मात्र) की राशि किसी भी नये आवंटि विभाग/ सोसायटी/ न्यायाधिकरण के द्वारा वापस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार विकास मिशन को भी आवंटन सरकार के स्तर से ही प्राप्त है। समिति द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया कि बिहार विकास मिशन द्वारा उक्त निर्णय को कार्यकारी समिति एवं शासी निकाय से अनुमोदित कराने की कार्यवाही की जाय। बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-63, दिनांक-28.01.2020 कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

बैठक में सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा समिति को बताया गया कि भवन निर्माण निगम लि० को अग्रिम रूप में उपलब्ध कराये गये ₹3,03,57,000.00 (तीन करोड़ तीन लाख सतावन हजार रु० मात्र) में से ₹2,89,47,496.00 (दो करोड़ नवासी लाख सैंतालीस हजार चार सौ छियानबे रु० मात्र) रुपये निगम द्वारा व्यय करते हुए शेष राशि (सूद सहित) ₹20,39,863.00 (बीस लाख उनतालीस हजार आठ सौ तिरेसठ रु० मात्र) बिहार विकास मिशन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापस कर दिया गया है।

निर्णय:- अनुमोदित। बिहार विकास मिशन द्वारा भवन निर्माण निगम के व्यय राशि ₹2,89,47,496.00 (दो करोड़ नवासी लाख सैंतालीस हजार चार सौ छियानबे रु० मात्र) को Books of Accounts में transfer के प्रयोजनार्थ वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनुपालन-बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-15

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के साथ कार्य करने हेतु क्रमशः एक-एक Land Acquisition Expert का पद स्वीकृत है। इस क्रम में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-97/स०को०, दिनांक-20.09.2019 द्वारा बिहार विकास मिशन से 01 (एक) Land Acquisition Expert की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः जल संसाधन विभाग हेतु Land Acquisition Expert (जिसका मानदेय राशि रु० 1,48,500/- (एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा) के 01(एक) पद के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है जिसका Job Description एवं मानदेय पूर्व के स्वीकृत पद के अनुरूप होगा और रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

निर्णय:- तत्काल जल संसाधन विभाग हेतु Land Acquisition Expert के पद सृजन की आवश्यकता नहीं है।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-16

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा श्रम संसाधन के साथ कार्य करने हेतु 01 (एक) IEC Expert (जिसका मानदेय राशि रु० 1,48,500/- (एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा) का पद स्वीकृत है। इस क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-170/प०व०ज०प०, दिनांक-28.11.2019 के द्वारा बिहार विकास मिशन से 01(एक) IEC Expert की सेवा जन जागृति के कार्य, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित जल-जीवन-हरियाली से संबंधित कार्य की अधिकता को देखते हुए पूर्णकालिक अवधि के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हेतु IEC Expert का 01(एक) पद के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है जिसका Job Description एवं मानदेय पूर्व के स्वीकृत पद के अनुरूप होगा और रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-17

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-10.01.2017 को आयोजित बैठक के कार्यावली संख्या-05 में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-सं0सं0- बि0वि0मि0-स्था0 (शासी निकाय)-02/2017-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा Hostel & Residential School Management Expert के दो (BC/EBC Department & SC/ST Department) एवं Hostel Management Expert के एक (Minority Welfare Department) पद की स्वीकृति दी गयी थी। दिनांक-10.08.2017 को आयोजित बैठक में अध्यक्ष कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उक्त दोनों विभागों के पदों को Merge करते हुए 01 (एक) पद, Hostel Management Expert (Shared Pool) जिसका मानदेय राशि रु0 1,48,500/- (एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा करते हुए नियोजन करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

अतः उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-18

मिशन निदेशक के पत्र सं0-2557, दिनांक-30.10.2019 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में Software Development, Web Designing एवं MIS विकसित करने में सक्षम दो योग्य कर्मियों के चयन हेतु सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा अनुमोदित JD के अनुरूप IT Expert-Web Designing, Software Development & MIS System Development & Control पद के 02 पदों जिसका मानदेय राशि रु0 1,38,250/- (एक लाख अड़तीस हजार दो सौ पचास रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा का सृजन कर और रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियोजन की कार्रवाई करने पर आगामी कार्यकारी समिति एवं शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की बैठक में घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-19

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-10.01.2017 को आयोजित बैठक के कार्यावली संख्या-05 में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-सं0सं0- बि0वि0मि0-स्था0 (शासी निकाय)-02/2017-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा Quality Assurance Monitor के 03(तीन) पदों की स्वीकृति (मिशन निदेशक कार्यालय हेतु) दी गयी थी। दिनांक-10.08.2017 को आयोजित बैठक में अध्यक्ष कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार द्वारा Quality Assurance Monitor का nomenclature बदलकर तथा उक्त पदों को Seprate करते हुए 01 (एक) पद, Impact Assessment Officer-Agri, 01 (एक) पद, Impact Assessment Officer-Infra एवं 01 (एक) पद, Impact Assessment Officer-Social (जिसका मानदेय राशि रु0 75,750/- (पचहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा) करते हुए नियोजन करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

अतः उक्त प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-20

बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-1210, दिनांक-27.10.2020 के माध्यम से विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्याचना के आलोक में HR & Recruitment Expert तथा HR Manager, बिहार विकास मिशन के प्रतिवेदन द्वारा निम्न पदों के सृजन हेतु, वांछित मानवबल के पदों की संख्या एवं मानदेय की विवरणी से संबंधित तालिका निम्नवत है :-

क्र०सं०	विभाग/ कार्यालय का नाम	अध्याचित विशेषज्ञों/ Consultants का पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय प्रतिमाह	संबंधित विभाग का पत्रांक एवं दिनांक जिसके माध्यम से विभाग द्वारा विशेषज्ञों/ Consultants की अध्याचना की गयी है।
1	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना	Project Management Consultant	01	₹1,38,250/-	पत्रांक-1172, दिनांक-10.08.2020
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना	IT & MIS Expert	01	₹1,38,250/-	पत्रांक-136/गो०, दिनांक-24.06.2019
3	वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना	App Developer	01	₹60,550/-	पत्रांक-1038, दिनांक-15.06.2020
		System & Network Support Executive	01	₹60,550/-	

अतः कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, परिवहन विभाग तथा वाणिज्य-कर विभाग हेतु उपर्युक्त पदों के सृजन (JD सहित) के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-21

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा विभिन्न विभागों (Shared Pool) के साथ कार्य करने हेतु 09 (नौ) पद Procurement & Contract Management Expert एवं 06 (छः) पद Finance Expert का स्वीकृत है। इस क्रम में परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-136/गो०, दिनांक-24.06.2019 द्वारा बिहार विकास मिशन से 01 (एक) पद Procurement Expert एवं 01 (एक) पद Financial Expert की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

बिहार विकास मिशन के HR & Recruitment Expert तथा HR Manager, बिहार विकास मिशन द्वारा परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में परिवहन विभाग हेतु Procurement & Contract Management Expert एवं Finance Expert (जिसका मानदेय राशि रु० 1,38,250/- (एक लाख अड़तीस हजार दो सौ पचास रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा) के एक-एक पद के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है जिसका Job Description एवं मानदेय पूर्व के स्वीकृत पद के अनुरूप होगा और रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियोजन की कार्यवाई की जाएगी।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या:-22

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के साथ कार्य करने हेतु 01 (एक) पद Monitoring and Evaluation Expert का स्वीकृत है। इस क्रम में परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-136/गो०, दिनांक-24.06.2019 द्वारा बिहार विकास मिशन से 01 (एक) Monitoring and Evaluation Expert की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः परिवहन विभाग हेतु Monitoring and Evaluation Expert (जिसका मानदेय राशि रु० 1,48,500/- (एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा) के

01(एक) पद के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है जिसका Job Description एवं मानदेय पूर्व के स्वीकृत पद के अनुरूप होगा और रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियोजन की कार्यवाई की जाएगी।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या:-23

बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 एवं 1092, दिनांक-17.10.2017 द्वारा विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने हेतु कुल-60 (साठ) पद Data Analyst का स्वीकृत है। इस क्रम में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1038, दिनांक-15.06.2020 द्वारा बिहार विकास मिशन से 02 (दो) Data Analyst की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः वाणिज्य-कर विभाग हेतु Data Analyst (जिसका मानदेय राशि रु0 41,350/- (एकतालीस हजार तीन सौ पचास रुपये) मात्र प्रतिमाह होगा) के 02 (दो) पद के सृजन के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है जिसका Job Description एवं मानदेय पूर्व के स्वीकृत पद के अनुरूप होगा और रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त कर नियोजन की कार्यवाई की जाएगी।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या:-24

कई विभागों के द्वारा सृजित पदों की आवश्यकता नहीं होने की सूचना प्रतिवेदित है। विभाग का नाम, विभाग से संबंधित पद एवं पत्र संख्या जिसके माध्यम से उक्त आशय की सूचना बिहार विकास मिशन को प्रेषित की गयी है, कि विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यालय का नाम	पद का नाम जिस पर नियोजन की आवश्यकता नहीं है।	पत्रांक एवं दिनांक जिसके माध्यम से विभाग को संबंधित पदों पर नियोजन की आवश्यकता नहीं है।
1	पथ निर्माण विभाग	Bridge Engineering Expert	पत्रांक-8891(S), दिनांक-30.09.19
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	Community Meal Expert	पत्रांक-4687, दिनांक-19.09.19
3	मिशन निदेशक कार्यालय, बिहार विकास मिशन	1. Data Analysis Lead 2. Data Entry Lead	पत्रांक-2171, दिनांक-17.09.19
4	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	Fisheries Expert	पत्रांक-53/स०को०, दिनांक-14.05.19
5	समाज कल्याण विभाग	1. ICDS Training Expert 2. Early Childhood Care Education (ECCE) Expert 3. ICDS Nutrition Expert	पत्रांक-4254, दिनांक-05.07.19

उपर्युक्त आलोक में तत्काल उक्त पदों पर नियोजन स्थगित (Withhold) रखा गया है। कार्यकारी समिति के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या:-25

Phase V की नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात् अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु की गयी कार्रवाई की विवरणी:-

पाँच चरणों में संपन्न नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत कुल पाँच Empanelled एजेंसी में से तीन Empanelled एजेंसी का अनुबंध विभिन्न कारणों से समाप्त होने के फलस्वरूप दो Empanelled एजेंसी शेष रह गये। अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु वित्तीय निविदा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम तीन एजेंसी का रहना आवश्यक था। इस हेतु नये सिरे से Hiring एजेंसियों के Empanelment हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। NIT REF No.-BVM/2019-20/HR01 का प्रकाशन दिनांक-10.10.2019 को किया गया। कुल 04 एजेंसियों द्वारा निविदा समर्पित की गयी। सभी चार एजेंसी के द्वारा समर्पित निविदा Pre-qualification Criteria पर अयोग्य पायी गयी। इस कारण पुनः निविदा आमंत्रित की गयी।

पुनर्निविदा NIT REF No.-BVM/2019-20/HR02 के माध्यम से दिनांक-09.12.2019 को प्रकाशित की गयी। प्रकाशित निविदा के विरुद्ध कुल 05 निविदा प्राप्त हुई। प्राप्त 05 निविदा में से 03 एजेंसी क्रमशः (i) Quess Corp Limited, (ii) Scalene Works People Solution LLP तथा (iii) SA Tech Software India Pvt. Ltd. को Technical Evaluation में योग्य पाया गया। तकनीकी रूप से योग्य पाये गये एजेंसी के साथ दिनांक-11.02.2020 एवं 12.02.2020 को एकराखनामा किया गया।

उक्त Empanelled एजेंसी से Phase VI के 46 एकल पदों पर नियुक्ति हेतु वित्तीय निविदा आमंत्रित की गयी। 16 पदों के लिए Quess Corp Limited, 15 पदों के लिए Scalene Works People Solution LLP तथा शेष 15 पदों के लिए SA Tech Software India Pvt. Ltd. की वित्तीय निविदा L1 पायी गयी। सभी L1 एजेंसियों को कायदेशि दिनांक-12.03.2020 को निर्गत किया गया। पदवार प्राधिकृत एजेंसी की सूचना Important Notice के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं बिहार विकास मिशन के Website पर दिनांक-02.06.2020 को Important Notice के रूप में प्रकाशित की गयी है। Important Notice की प्रति दिनांक-27.08.2020 को आयोजित शासी निकाय की सप्तम बैठक में अवलोकित कराया जा चुका है। कार्यकारी समिति को सादर सूचनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या:-26

Phase VI के नियुक्ति प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसी को आवंटित पद के विरुद्ध कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति:-

Quess Corp Limited द्वारा प्राधिकृत 16 पदों के विरुद्ध 06 पदों का Initial Shortlist दिनांक-05.07.2020 को बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये सूची में विविध त्रुटियाँ पाये जाने के कारण इसे बिहार विकास मिशन के द्वारा एजेंसी को वापस कर दिया गया। एजेंसी के स्तर से त्रुटि निराकरण के पश्चात् 16 में से 12 पदों के विरुद्ध Shortlist of Candidates उपलब्ध कराया गया है।

Scalene Works People Solution LLP के द्वारा प्राधिकृत 15 पदों के विरुद्ध कुल 12 पद का एवं SA Tech Software India Pvt. Ltd. के द्वारा प्राधिकृत 15 पदों के विरुद्ध कुल 09 पद का Shortlist of Candidates बिहार विकास मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

कार्यालय द्वारा सभी एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराये गये Shortlist of Candidates में सन्निहित सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की गहन जाँच संलग्न दस्तावेजों के आधार पर करते हुए Observation संबंधित एजेंसी को भेजा गया। BVM Observation के आलोक में

Grievance Redressal एवं Agreed अन्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एजेंसी के स्तर से Shortlist of Candidates उपलब्ध कराया गया। जिन पदों के विरुद्ध Shortlist of Candidates उपलब्ध कराया गया है, उनमें संबंधित अभ्यर्थियों का Psychometric Analysis, Reference Check एवं Subject Matter Expert के स्तर से Evaluation की कार्यवाही एजेंसी के स्तर से प्रक्रियाधीन है। इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के पश्चात् एजेंसी के स्तर से Final Shortlist of Candidates उपलब्ध कराये जाने पर बिहार विकास मिशन के स्तर से साक्षात्कार की कार्यवाही की जायेगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण साक्षात्कार Online प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। साक्षात्कार का आयोजन माह दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त 46 में से 11 ऐसे पद हैं, जिनमें L₁ एजेंसी के स्तर से Shortlist of Candidates नहीं उपलब्ध कराया जा सका। ऐसे पदों के लिए L₂ एवं L₃ एजेंसी को L₁ दर पर कार्य करने हेतु उनसे सहमति की मांग की गयी, परन्तु सभी L₂ एवं L₃ एजेंसी के स्तर से सभी 11 पदों के लिए वर्तमान Job Description एवं Evaluation Criteria पर कार्य करने में अपनी असहमति बिहार विकास मिशन को संसूचित की गयी है। कार्यकारी समिति का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या:-27

बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका 9(13) के आलोक में वैधानिक/सांविधिक(वार्षिक) अंकेक्षण (Statutory Audit) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल में सूचीबद्ध पटना स्थित CA Firms से प्राप्त वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् बिहार विकास मिशन (मुख्यालय) का वित्तीय वर्ष 2019-20 के Statutory Audit एवं Tax Audit along with ITR Filing के लिए L1 निविदादाता M/s AKNBM & Company, C/o Sri Bhubneshwar Prasad, 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna-800007 का तथा बिहार विकास मिशन द्वारा विभिन्न जिलों के DRCCs को उपलब्ध कराये गये मानव बलों के मानदेय भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि/आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के Statutory Audit के लिए L1 निविदादाता Sangeeta Gupta & Associates, 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna-800007 का चयन विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।

उपर्युक्त Audit Agency के चयन पर दिनांक-27.08.2020 को आयोजित शासी निकाय की सप्तम बैठक में अनुमोदन प्राप्त है। कार्यकारी समिति को सूचनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-28

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि “संविदा पर नियोजन कम से कम 3 वर्ष की हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय” तथा दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के उपयोगिता/आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02(दो) वर्ष अर्थात् कुल 05(पाँच) वर्ष तक जारी रखने/नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कर्मियों के कार्यों की प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जायेगी एवं उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुरूप सेवा जारी रखने/ नये सिरे से एकरारमाना करने के बिन्दु पर आवश्यकता अनुसार बिहार विकास मिशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-818, दिनांक-28.05.2019 का अनुपालन करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित विभिन्न विभागों एवं बिहार विकास मिशन में पदस्थापित कर्मियों के मामले में कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा पर नियोजित अधिकांश कर्मियों सहित अन्य कर्मियों का एकराजनामा दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न कार्यकारी समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप अंतिम बार किया जा चुका है।

अतः उन कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के संबंध में योजना एवं विकास विभाग एवं अन्य संबंधित से प्रतिवेदन प्राप्त कर उनकी सेवा अगले 02(दो) साल तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन से मार्गदर्शन के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अतः उक्त बिन्दु पर कार्यकारी समिति का निर्णय प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

अनुपालन-बिहार विकास मिशन

कार्यावली संख्या-29

बिहार विकास मिशन में संविदा पर नियोजित कर्मि विभिन्न विभागों/ कार्यालयों/ जिला/ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों में प्रतिनियुक्त है। उनका नियोजन 05 वर्ष हेतु किया गया है एवं प्रत्येक 11 माह के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सकारात्मक अनुशंसा उपलब्ध कराने पर अगले 11 माह हेतु उनका एकराजनामा विस्तार किया जाता है।

इस क्रम में प्रायः विभिन्न विभागों/ कार्यालयों/ जिला से उक्त नियोजित कर्मियों का 11 माह का वार्षिक कार्य मूल्यांकन ससमय प्राप्त नहीं हो पाने के कारण व्यवहारिक कठिनाई हो रही है एवं उक्त कर्मियों के एकराजनामा विस्तार पर समुचित निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

अतः उक्त के निराकरण के बिन्दु पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष कार्यावली उपस्थापित है।

निर्णय:- सभी विभागों/ कार्यालयों/ जिलों में कार्यरत नियोजित कर्मियों का विहित प्रपत्र में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अभिलेखित कर बिहार विकास मिशन के HR Manual के अनुरूप ससमय बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- सभी संबंधित विभाग/ कार्यालय/ जिला।

कार्यावली संख्या-30

बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है जबकि बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 के अनुसार संविदा नियोजन में “चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परंतु ऐसे पदों, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी”। विदित हो कि बिहार विकास मिशन में कतिपय पदों पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है।

अतः बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के बिन्दु पर कार्यकारी समिति का निर्णय प्रार्थित है।

निर्णय:-बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष एवं कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की जाय।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-31

बिहार विकास मिशन की नियमावली के कंडिका - 14 (7) के आलोक में कार्यकारी समिति हेतु उप मिशनवार कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में प्राप्त निदेशों के अनुपालन-सह-प्रगति प्रतिवेदन Powerpoint के रूप में प्रस्तुतीकरण किया गया:-

(i) युवा उप-मिशन

❖ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना :-

- गत एक वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत अपेक्षा से कम आवेदन की प्राप्ति के संबंध में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान लम्बे अंतराल से बंद हैं एवं जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र भी काफी समय से अक्रियाशील रहें हैं। इस कारण इस योजना के तहत कम आवेदन आए। इस आलोक में निदेश दिया गया कि आवेदनों की संख्या बढ़ाने हेतु जिला स्तर से आवश्यक प्रचार-प्रसार पुनः प्रारंभ कराया जाए।
 - प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में आवेदनों के सत्यापन हेतु नए Third Party Verification Agency (TPVA) के चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस कारण 17,753 आवेदन सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग स्तर से लंबित है। निदेश दिया गया कि TPVA के चयन का कार्य दिनांक 15.01.2021 तक पूरा कर लिया जाए।
- अनुपालन - शिक्षा विभाग।**

❖ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना:-

- गत एक वर्ष में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत अपेक्षा से कम आवेदन के प्राप्ति के आलोक में निदेशित किया गया कि आवेदनों की संख्या बढ़ाने हेतु जिला स्तर से आवश्यक प्रचार-प्रसार पुनः प्रारंभ कराया जाए।
 - SHA के माध्यम से KYP प्रशिक्षण हेतु प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या (3,22,580) बहुत अधिक होने के संबंध में सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि इन आवेदकों द्वारा KYP प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के कारण अंतिम 5 माह का भत्ता भुगतान नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसे आवेदकों का KYP प्रशिक्षण अधिक समय से लंबित है एवं इन्हें प्रतीक्षारत सूची से delist करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। श्रम संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाय।
- अनुपालन - श्रम संसाधन विभाग।**

❖ कुशल युवा कार्यक्रम :-

- गत एक वर्ष में कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत अपेक्षा से कम आवेदन के प्राप्ति के आलोक में निदेशित किया गया कि आवेदनों की संख्या बढ़ाने हेतु जिला स्तर से आवश्यक प्रचार-प्रसार पुनः प्रारंभ कराया जाए।
- कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या 5,76,828 है। इस संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि प्रशिक्षण हेतु लंबित

5,76,828 आवेदनों में से KYP के 2,54,248 तथा शेष 3,22,580 आवेदन SHA के हैं। इनमें से अधिकतर आवेदक 1 एवं 2 वर्षों से भी अधिक समय से KYP केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु नहीं आये हैं तथा जिन्हें पहले भी notice के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है। यह भी बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक बार पुनः प्रतीक्षारत आवेदकों को notice देकर इन्हें प्रतीक्षारत सूची से delist करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। निदेशित किया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाय।

अनुपालन : श्रम संसाधन विभाग।

(ii) पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप-मिशन

❖ 'हर घर नल का जल' निश्चय

- 'ग्रामीण क्षेत्र में निश्चय योजनाओं के संचालन हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा नियमानुसार Water Usage शुल्क की वसूली किये जाने के तर्ज पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के बिंदु पर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि निकट भविष्य में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर तीनों विभाग यथा पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जायेगा। निदेशित किया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाय।

अनुपालन : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

- निश्चय की प्रगति की समीक्षा के क्रम में 30 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले समीक्षात्मक बैठक में केंद्र सरकार के IMIS में राज्य की अद्यतन प्रगति प्रविष्ट किये जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन : पंचायती राज/ नगर विकास एवं आवास/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

❖ 'घर तक पक्की गली-नालियाँ' निश्चय

- समीक्षा के क्रम में पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग को सम्प्रति कार्य पूर्ण वार्डों में छूटी योजनाओं का पुनः सर्वेक्षण कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर निश्चय के लक्ष्य की प्राप्ति किये जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन : पंचायती राज/ नगर विकास एवं आवास विभाग।

❖ 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय

- प्रोत्साहन राशि से वंचित शेष लाभुकों को ससमय इसका भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा के क्रम में प्रोत्साहन राशि का भुगतान 31.01.2021 तक कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन : ग्रामीण विकास विभाग।

(iii) उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन।

- बैठक में अध्यक्ष, महोदय द्वारा पूर्व में दिये गए निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा सात निश्चय के तहत क्रियान्वित बिहार स्टार्ट-अप नीति- 2017, सुशासन के कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई।

निदेश दिया गया कि उपर्युक्त योजनाओं की प्रगति का सतत् अनुश्रवण किया जाए।

अनुपालन- उद्योग विभाग।

- पटना में Short Term तथा Mid Term के तहत वर्ल्ड क्लास I.T. Tower के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब की समीक्षा के क्रम में सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा बताया गया कि पी0पी0पी0 परियोजनाओं एवं लैंड बैंक से संबंधी प्रावधानों को संशोधित करने हेतु संलेख प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि वित्त विभाग से परामर्श लेते हुए I.T. Tower के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय।
अनुपालन - सूचना प्रावैधिकी विभाग।

(iv) मानव विकास उप-मिशन।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अनुमंडलों/ जिलों यथा- तेघड़ा एवं पुपरी में ANM संस्थान, बेगूसराय एवं शिवहर में GNM एवं पारामेडिकल संस्थान तथा बेगूसराय, भोजपुर एवं मधुबनी में B.Sc. नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य भूमि समस्या के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है।

वैसे स्वास्थ्य संस्थान जिसका निर्माण कार्य भूमि समस्या/ अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका है, उसके लिए भूमि चिह्नित कर समस्या का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। यदि किसी स्वास्थ्य संस्थान के लिए भूमि की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसके लिए संबंधित विभागों की बैठक आयोजित करायी जाए।

अनुपालन- स्वास्थ्य विभाग।

- बच्चों में Stunted Growth में कमी लाने हेतु एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया जाना है, जिसमें लाभ की राशि DBT के माध्यम से लाभुकों के खाते में हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान हो। इस सम्बंध में सूचित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संलेख तैयार कर लोक वित्त समिति को भेजा गया है। योजना के शीघ्र क्रियान्वयन का निदेश दिया गया।

अनुपालन- स्वास्थ्य विभाग।

(v) आधारभूत संरचना उप-मिशन।

❖ ग्रामीण कार्य विभाग

- ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के संबंध में बताया गया कि राज्य के कुल लक्षित 4643 सम्पर्कविहीन बसावटों में 3977 कि०मी० सड़क का निर्माण कर संपर्कता प्रदान करने के विरुद्ध अबतक 4493 बसावटों में 3879 कि०मी० सड़क का निर्माण कर संपर्कता प्रदान की जा चुकी है।
- ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय के सर्वेक्षण में 250+ आबादी वाले टोलों/ बसावटों की अन्य योजना से संपर्कता प्रदान करने की योजना के संबंध में बताया गया कि लक्षित कुल 9143 बसावटों में 8523.10 कि०मी० सड़क निर्माण के विरुद्ध अबतक 3799 बसावटों में 3095.73 कि०मी० सड़क का निर्माण कर संपर्कता प्रदान किया जा चुका है एवं शेष निर्माणाधीन है। निदेश दिया गया कि पूर्व के शासी निकाय की बैठक में दिए गए निदेश के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई संपन्न की जाए।

अनुपालन- ग्रामीण कार्य विभाग।

(vi) कृषि उप-मिशन

- लेयर पोल्ट्री फार्म योजना एवं ब्रायलर पोल्ट्री फार्म योजना की प्रगति कम है। सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं में बैंकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। निदेश दिया गया कि बैंकों के साथ आवश्यक समन्वय किया जाए और इस कार्य में वित्त विभाग का भी सहयोग लिया जाए।

अनुपालन- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

- बताया गया कि वर्तमान में Sewage Treatment Plant (STP) एवं प्लास्टिक कचरा के नियंत्रण हेतु कार्रवाई नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जा रही है। निदेश दिया गया कि STP के निर्माण का सतत अनुश्रवण किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि इन कार्यों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन-नगर विकास एवं आवास विभाग।

- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कई योजनाओं का क्रियान्वयन भू-अर्जन नहीं होने के कारण लंबित है। विभाग द्वारा बताया गया कि लंबित 18 योजनाओं में से 4 में निदान कर लिया गया है तथा शेष 14 में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निदेश दिया गया कि जल संसाधन विभाग अंतर्गत लंबित भू-अर्जन की समस्या को शीघ्र दूर किया जाय।

अनुपालन- जल संसाधन विभाग।

(vii) लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन

- चेचर संग्रहालय, चेचर, वैशाली की चहारदीवारी निर्माण कार्य के संबंध में बताया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण यह कार्य लंबित है।

निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर भूमि उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुपालन - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

- बिहारशरीफ में संग्रहालय निर्माण के संबंध में प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बताया गया कि बिहारशरीफ स्थित पुराना बस स्टैंड की चयनित भूमि पर स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव के कारण भूमि हस्तांतरित नहीं किया जा सका है। जिला प्रशासन, नालंदा द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि भी संग्रहालय निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी है।

निदेश दिया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय कर संग्रहालय निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही भूमि अनुपलब्धता के कारण कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कतिपय अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

कार्यावली संख्या-32

अन्यान्य:-

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अनुमति से सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन द्वारा सूचित किया गया कि,

(क) बिहार विकास मिशन के गठन नियमावली में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय, वार्षिक आम बैठक, कार्यकारी समिति की बैठक तथा प्रत्येक उप मिशन की बैठकें आयोजित किये जाने संबंधी निदेश अंकित हैं। उक्त बैठकें संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार ही कराने की जरूरत के मद्देनजर उक्त बैठकों के संबंध में बिहार विकास मिशन के गठन नियमावली में निम्न संशोधन का प्रस्ताव है।

“बिहार विकास मिशन के शासी निकाय, वार्षिक बैठक, वार्षिक आम बैठक, कार्यकारी समिति की बैठक तथा प्रत्येक उप-मिशन की बैठक संबंधित समितियों के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित करने पर आहूत की जायेगी”।

कार्यकारी समिति से उक्त संशोधन पर स्वीकृति प्रार्थित है। स्वीकृति के उपरांत इसे आगामी शासी निकाय के बैठक में अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाएगा।

निर्णय-अनुमोदित।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

(ख) बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों में से महिला कर्मियों को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान, HR Manual में किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिशन में नियोजित कर्मियों का नियोजन 05 वर्षों हेतु किए जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक 11 माह पर उनके नियंत्री पदाधिकारी से सकारात्मक अनुशंसा के उपरांत अगले 11 माह हेतु एकराखनामा किया जाता है। ऐसी स्थिति में 180 दिनों के मातृत्व अवकाश में रहने पर संबंधित विभाग/ कार्यालय/ जिला के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनका 11 माह का वार्षिक कार्य मूल्यांकन अंकित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

Bihar State Electronics Development Corporation Limited (BSEDC Ltd.), द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, आईटी0 बॉय एवं प्रोग्रामर को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है।


अतः बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों को 180 दिनों के स्थान पर 60/90 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान HR Manual में करने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय:- बैठक में इस कार्यावली पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि मातृत्व अवकाश के प्रावधान को यथावत रखा जाय।

अनुपालन- बिहार विकास मिशन।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।


(संजय कुमार)
सदस्य सचिव


(दीपक कुमार)
अध्यक्ष

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-02/2020.....1440.....पटना-23, दिनांक-30-12-20

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव/ अध्यक्ष उप-मिशन -सह- विकास आयुक्त, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-02/2020.....1440.....पटना-23, दिनांक-30-12-20

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य महाप्रबंधक एवं सभी महाप्रबंधक (बिहार विकास मिशन) / अपर निदेशक (प्रोग्राम मॉनिटरिंग) एवं अपर मिशन (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक :- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-02/2020.....1440.....पटना-23, दिनांक-30-12-20

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ आई० टी० मैनेजर, बिहार विकास मिशन को Website पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)